सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में कुल हाउस होल्ड की संख्या लगभग 329 लाख जिसमें से कुल 129 लाख घरों में ही विद्युत संयोजन है। ऐसे करीब 200 लाख घरों में विद्युत संयोजन प्रदान करना न केवल समाज की आवश्यकता है बल्कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा भी है। गॉवों व शहरी क्षेत्र में लगभग क्रमशः 71 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत घरों में विद्युत संयोजन नहीं है। इनमें से अधिकांश घरों में विद्युत चोरी के रूप में हो रही है और एक बड़े राजस्व की हानि भी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि विद्युत चोरी रहित समाज का सृजन किया जाये जिसके लिए एक बड़े स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस अभियान को दो भागो में बॉट कर किया जाना उचित होगा।

1) विद्युत संयोजन को घर–घर में पहुचाने के लिए वृहद प्रचार–प्रसार कर पूर्व से हो रहे विद्युत उपभोग के बारे में बिना किसी पूछताछ के संयोजन नियमतिकरण एमनेस्टी योजना के तहत प्रदान कर दिया जाये।
2) इस अभियान के पश्चात यदि संयोजन नहीं लिया जाता है तो कड़ी कार्यवाही कर वर्तमान विभागीय नियामो के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

प्रथम चरण में अभियान को निम्नवत प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित किया जाना है–

<u>प्रस्तावाना</u>– यह एमनेस्टी योजना प्रारम्भ में एल0एम0वी0–1 शहरी व ग्रमीण (4 किलोवाट भार तक) तथा एल0एम0वी0–5 निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए जारी की जानी है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा।

1) बिना संयोजन विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ता।
2) मीटर से पहले केबिल काट कर चोरी कर रहे उपभोक्ता।

<u>संयोजन नियमतीकरण की प्रक्रिया–</u>

i. ऐसे उपभोक्ता जो सीधे कटिया डालकर बिना किसी वैधानिक संयोजन के विद्युत का उपयोग कर रहे है तथा एल0टी0 मेन्स से उनके परिसर की अधिकतम दूरी 40 मीटर तक है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

ii. स्वतः घोषणा करने वाले उपभोक्ता पर कोई वैधानिक जुर्माना/दण्डात्मक कार्यवाही नही की जायेगी। उपभोक्ता को यह भी घोषणा करनी होगी कि उसके परिसर पर पूर्व में कोई विद्युत संयोजन नही/ संयोजन रहा है तथा उसके अनुसार परिसर पर कोई पूर्व का बकाया नहीं है/बकाया है।

iii. घोषित किये जाने वाले उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण शुल्क जो कि प्रक्रमण शुल्क (Processing Fee) के बराबर होगा नये संयोजन के फार्म के साथ जमा की जायेगी। नये संयोजन का फार्म विभाग द्वारा उपभोक्ता को निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। नये संयोजन के विरूद्ध वर्तमान नियमो के अनुसार आवश्यक शेष धनराशि तीन कार्य दिवस के अंदर जमा करानी होगी ।

iv. तीन कार्य दिवस के अन्दर धनारशि जमा न होने पर आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा उपभोक्ता के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 व विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

v. यदि परिसर पर भविष्य में उपभोक्ता की घोषणा के विरूद्ध उसके/ किसी अन्य नाम से कोई बकाया पाया जाता है, तो उक्त धनराशि उपभोक्ता को जारी किये गये नये संयोजन में जोड़ दी जायेगी।

vi. जिन परिसरों पर बकाया से सम्बन्धित वाद किसी भी न्यायालय में लंबित है उन्हे भी एक शपथ पत्र प्राप्त कर संयोजन प्रदान करने का प्राविधान रहेगा। शपथ पत्र में यह स्पष्ट वर्णित होगा कि यह बकाया न्यायालय के आदेशों के प्रतिबन्धाधीन उनके नये संयोजन में जोड़ दिया जाये तथा उसकी वसूली न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार की जायेगी।

vii. जिन परिसरो पर बकाया निर्धारित है तथा संयोजन कटे हुये है एवं वो नये संयोजन लेने के इच्छुक है तो पूर्व का बकाया जोड़कर नया संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि को विद्युत आपूर्ति संहिता के प्राविधानानुसार किश्तो में भुगतान करने की सुविधा रहेगी।

viii. ऐसे परिसर जो न्यायालय के आदेशों से कब्जा मुक्त हो चुके है तथा पूर्व में रह रहे अध्यासी पर बकाया है। ऐसे परिसर के स्वामी यदि अपने से पूर्व अध्यासी की पूर्ण पहचान तथा वर्तमान पता प्रदान करता है तो पूर्व अध्यासी के विरूद्ध धारा 5 की कार्यवाही कर, शपथ पत्र (आशयः धारा–5 से वसूली नही होने पर स्वंय जमा करेंगे) प्राप्त कर संयोजन प्रदान करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

ix. इस योजना की अवधि में विभागीय जॉच के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता अनाधिकृत विद्युत उपभोग करता पाया जाता है तो उसको जॉच की तिथि से अगले एक कार्य दिवस के अन्दर नये संयोजन की धनराशि जमा करानी होगी, अन्यथा उसके विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 व विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

मीटर से पहले केबल काटकर चोरी कर रहे उपभोक्ताओ के संयोजन के स्वतः घोषणा व नियमितकरण की प्रकिया–

i. मीटर से पहले केबल काटकर विद्युत उपभोग कर रहे उपभोक्ता को स्वतः घोषणा का आवेदन खण्डीय कार्यालय में किया जायेगा तथा उसी समय मीटर एवं केबिल रिपलेसमेन्ट कास्ट जमा की जायेगी।

ii. ऐसे उपभोक्ताओ पर किसी प्रकार की वैधानिक जुर्माना अथवा दण्डात्मक कार्यवाही नही की जायेगी।

iii. उपभोक्ता को सर्विस केबल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

iv. विभाग द्वारा उक्त मीटर कास्ट जमा हो जाने एवं उपभोक्ता द्वारा केबिल की व्यवस्था की सूचना प्राप्त होने के सात कार्य दिवस के अंदर केबल तथा मीटर बदलकर मीटरिंग की व्यवस्था को सामान्य करना होगा।

एमनेस्टी योजना की अवधि– 15 मई, 2017 से 15 जून, 2017 तक

पंजीकरण धनराशि– समबन्धित विद्युत भार के प्रक्रमण शुल्क के बराबर निम्न प्रकार से होगी

1 किलोवाट घरेलू उपभोक्ताओं के लिये रू0 50/–

2 किलोवाट से 4 किलोवाट घरेलू उपभोक्ताओं के लिये रू0 100/–

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये रू0 100/–

पंजीकरण अवधि–15 मई, 2017 से 15 जून, 2017 तक

पंजीकरण कार्यालय– अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं उपखण्ड कार्यालय तथा खण्ड के अंतर्गत सभी अवर अभियन्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार पंजीकृत किया जायेगा तथा पूर्ण अभिलेख खण्डीय/ उप खण्डीय कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे एवं दिन–प्रतिदिन आख्या निर्धारित संलग्नक–। एवं ।। के अनुसार बनाये जायेंगे।

प्रारुप –1

पंजीकरण फार्म

संयोजन नियमितिकरण ऐमनेस्टी योजना

एल0एम0वी0–1(4 कि0वा0 तक) तथा एल0एम0वी0–5 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये

1–	उपभोक्ता का नाम	
2–	उपभोक्ता का मोबाईल/ लैण्डलाइन नं0	
3–	उपभोक्ता का पता	
4–	वितरण खण्ड का नाम	
5–	वितरण कनेक्शन सं0/बुक सं0	
6–	श्रेणी	
7–	संयोजन की अद्यतन स्थिती	कटा है/ जुड़ा है/नहीं है
8–	अंतिम भुगतान बिल की छायाप्रति	संलग्न है/ नहीं है/ लागू नही है
9–	विद्यत बकाया बिल	संलग्न/ नहीं संलग्न/लागू नही
10–	पंजीकरण शुल्क	
11–	न्यायालय में लंबित वाद का विवरण	/लागू नही

1. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्युत उपभोग किया जा रहा है परन्तु कोई संयोजन प्राप्त नहीं कर सका/सकी। मेरे द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर संयोजन की धनराशि जमा कर संयोजन प्राप्त कर लिया जायेगा। मेरे परिसर पर मेरे संज्ञान में कोई बकाया नहीं है/ बकाया है। यदि बकाया पाया जाता है तो धनराशि मेरे नये संयोजन के बीजक में जोड़कर संयोजन निर्गत कर दिया जाये। इस बकाया धनराशि मेरे द्वारा जमा किया जायेगा।
2. मेरा परिसर विद्युत विभाग के ऊर्जीकृत निकटतम एल0टी0 पोल से 40 मी0 के अंदर है।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय द्वारा भरा जाना है

पावती

पंजीकरण संख्या ..... दिनांक.....

पंजीकरण शुल्क.....रसीद संख्या..... दिनांक.....

अधिकारी के हस्ताक्षर